



बिहार बिटी चीफ

महीनों से तलाश रही थी पुलिस

आखिरकार अब SP ने इन अपराधियों पर घोषित किया इनाम

गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाने के पुरेना गांव में ऑर्मी की तैयारी करनेवाले छात्र बिदू कुमार को चाकू मारकर हत्या किये जाने और सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी पर फायरिंग करने के मामले में फरार 9 अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है. पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इन अपराधियों पर पांच-पांच हजार रुपये के इनाम की घोषणा कर दी है. फरार अपराधियों के बारे में सूचना देने या गिरफ्तारी में सहयोग करनेवालों को इनाम की राशि दी जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूचना देने और गिरफ्तारी में सहयोग करनेवाले लोगों का नाम



व पता को गोपनीय रखा जायेगा. वहीं, इनाम की घोषणा करने के साथ ही पुलिस टीम ने गिरफ्तारी

के लिए छापेमारी तेज कर दिया है. पुलिस के लिए ये सभी नौ अपराधी चुनौती बन गये हैं. दस

दिनों से फरार हैं और इनके ठिकाने पर छापेमारी करने के बाद भी पुलिस को सफलता हाथ

नहीं लगी. लिहाजा अपराधियों पर पुलिस ने इनाम घोषित करते हुए दबिश बढ़ानी शुरू कर दी है. **हत्याकांड में इन अपराधियों पर इनाम** पुलिस ने बिदू की हत्या में शामिल पांच अपराधियों पर इनाम घोषित किया है. इनमें जादोपुर थाने के हरिहरपुर गांव के रामकुमार सिंह के पुत्र रौशन कुमार, कुचायकोट थाने के दलेया गांव के दशरथ यादव के पुत्र सोनू यादव, जादोपुर थाने के जादोपुर शुक्ल गांव के गौतम यादव के पुत्र मनोज यादव, जादोपुर शुक्ल गांव के रवि साह के पुत्र गोविंद कुमार और बरहपट्टी गांव के जितेंद्र यादव के पुत्र घनश्याम कुमार शामिल हैं.

फिलहाल ये सभी अपराधी फरार हैं. **24 अक्टूबर की रात तीन दोस्तों को मारा चाकू** जादोपुर थाने के पुरेना गांव में 24 अक्टूबर की रात में एक साथ तीन दोस्तों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. पांच लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बिदू व छोटू को गोरखपुरद रेफर कर दिया गया. अगले दिन बिदू की मौत हो गयी. परिजनों ने थाने का घेराव कर सड़क जाम किया. पुलिस ने 26 अक्टूबर को पांच युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था.

सिविल कोर्ट में 18 अक्टूबर को पेशी के लिए पहुंचे कैदी कुख्यात विशाल सिंह पर फायरिंग की गयी. फायरिंग में शामिल पांच अपराधियों का नाम सामने आया, जिनमें एक अपराधी सीवान के सुरेश कुमार सिंह को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं, इस घटना में फरार सीवान के नौतन थाने के रामगढ़ निवासी सूर्यदेव भगत के पुत्र राजू सिंह, मीरगंज थाने के तुलसिया गांव निवासी वशिष्ठ तिवारी के पुत्र भगवान तिवारी, गणेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह और धरनीहाता गांव के जनादन सिंह के पुत्र पंकज सिंह शामिल हैं. पुलिस ने सभी पर इनाम की घोषणा कर दी है.

दरभंगा मेट्रो का पहले फेज का रूट तय

राइट्स को मिला है बिहार के इस शहर में शहरी ट्रेन का काम



दरभंगा. दरभंगा जिले में मेट्रो रेल चलाये जाने की घोषणा के बाद से ही लोगों में काफी खुशी है। अब मेट्रो के परिचालन के रूट भी निर्धारित कर दिया गया है। दरभंगा के लोगों के लिए मेट्रो से जुड़ी दूसरी खुशखबरी यह है कि आज मेट्रो रेल रूट को लेकर दरभंगा नगर निगम ने विशेष बैठक की है। इसमें मेयर डिप्टी मेयर सांसद और विधायकों की मौजूदगी में मेट्रो परिचालन के लिए रूट को निर्धारित कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा आयोजित इस विशेष बैठक में दरभंगा मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े कम्पनी RITES के न सिर्फ अधिकारी मौजूद थे बल्कि दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के

अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी के साथ साथ दरभंगा के मेयर अंजुम आरा और नगर आयुक्त राकेश गुप्ता बैठक में शामिल हुए।

फिर से मेट्रो रेल रूट की रेखा बनाने पर बल दिया

मेट्रो के अधिकारी सबसे पहले मॉनिटर पर डिस्टले कर अपनी तरफ से बनाये गए संभावित रूट को दिखाया और उसके पीछे का उचित कारण भी बताया इसके बाद बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों के अलावा बैठक में मौजूद अधिकारियों का मतव्य भी जानने का प्रयास किया। वहीं पहले फेज के संभावित रूट पर

सभी विस्तृत चर्चा की और रूट को लेकर एक मत बनाने की कोशिश की गई जिससे दरभंगा वासियों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले इसे ध्यान में रखकर नए सिरे से एक बार फिर से मेट्रो रेल रूट की रेखा बनाने पर बल दिया।

DPR तैयार कर जल्द काम को भी शुरू कर दिया जाएगा

बैठक में शामिल मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी ने भी सभी की बात को बारीकी से सुना। सभी के साथ मिलकर एक बार फिर से संभावित मेट्रो रेल रूट को देखने के बाद मैपिंग कर बनाने का निर्णय लिया गया। इसमे वे सभी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा जो आज के बैठक में तमाम लोगों का विचार सामने आया। ज्यादातर लोग पहले चरण में मेट्रो रेल रूट को एक रिंग रोड के तर्ज पर तैयार करने इसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में इसे व्यापक विस्तार करने पर बल दिया । लेकिन, सभी की सहमति इस बात पर ज्यादा थी कि दरभंगा हवाई अड्डा, बस स्टैंड, छ्त्त। अस्पताल, दरभंगा के लहेरियासराय स्थित जिला मुख्यालय के अलावा रेलवे स्टेशन होते दरभंगा में बनने वाले नए एम्स होते दरभंगा हवाई अड्डा वाला रूट निर्धारित किया जाए। हालांकि, इसपर अभी अंतिम मुहर नहीं लग पाई और अगली बैठक के बाद मेट्रो रेल रूट पर फाइनल मुहर लगने की बात जरूर सामने आई। इसके बाद पूरे योजना का DPR तैयार कर जल्द काम को भी शुरू कर दिया जाएगा।

गंदे निकले रिटायर्ड दरोगा बाबू

घर करवा रहे थे धंधा, बैंक डोर से पुलिस घुसी तो नजारा देख रह गई दंग

मोतिहारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हुए दरोगा एसएन शर्मा अपने ही घर में गंदा काम करवा रहे थे। पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची हैरान रह गई। घर से दो महिला और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। मोतिहारी पुलिस ने बताया कि एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी मधु कुमारी व मो वसीम फिरोज के

नेतृत्व मे मोतिहारी मे सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया गया है। इस मामले में रिटायर्ड दारोगा एस एन शर्मा, बबिता कुमारी और चांद तारा खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, यह छापेमारी मोतिहारी शहर के रेल लाइन के किनारे अगरवा मुहल्ले में मंगलवार शाम की गई। पुलिस को इस सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी और इस आधार पर कार्रवाई की

गई। घर का दरवाजा बंद था। खटखटाने पर दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस पीछे से घर मे घुस गई। वहां एक घर में रिटायर्ड दारोगा एस एन शर्मा के साथ एक महिला थी जो खुद को उनकी पत्नी बता रही थी। इसने अपना गलत नाम भी बताया। दूसरे कमरे मे एक और महिला मिली जो अपने को रिटायर्ड दरोगा का किराएदार बता रही थी। इसने भी अपना नाम गलत बताया।

पुलिस ने इस दौरान एसएन शर्मा के घर की तलाशी ली तो वहां से भारी संख्या मे कंडोम व आपत्तिजनक दवाओं को पाया। वही किराएदार कहने वाली महिला के घर की तलाशी ली गई तो वहां से भी भारी संख्या मे कंडोम, अश्लील किताब और कई शक्तिवर्धक दवा बरामद की। इस तलाशी का खुद को किराएदार कहने वाली महिला ने विरोध किया।

पटना. पटना में पति ने अपनी पत्नी पर तेज हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दूसरा पूर्वी गली की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस तेज हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिससे पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। घटना का कारण पति द्वारा पत्नी की बात

नहीं मानने की बात बताई जा रही है। घटना की पुष्टि करते हुए बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान कैलाश दास की पत्नी राधा देवी (55) के रूप में की गई है। **धनतेरस का सामान लाने को लेकर हुआ था विवाद** घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि कैलाश दास (65) अपनी पत्नी

राधा देवी (55), दो बेटों और एक बेटी के साथ रहते थे। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आए दिन मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मंगलवार की देर शाम धनतेरस का सामान लाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पति ने घर में रखे तेज हथियार से पत्नी के सर के ऊपर जोर से प्रहार कर दिया। खून से लथपथ पत्नी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। कुछ ही देर में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो

गई। आरोपी पति से पुलिस कर रही पूछताछ घटना के बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना बुद्ध कॉलोनी थाने को दी। सूचना मिलते ही बुद्ध कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम मामले को छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पति कैलाश दास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग

अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में अधिवक्ता संघ का प्रदर्शन



सहरसा. सहरसा जिले में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से क्षुब्ध होकर मंगलवार को सहरसा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर से समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला। फिर जिला प्रशासन से अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष सुदेश कुमार सिंह, ओमप्रकाश ठाकुर, लुकमान अली, संजीत कुमार, आदित्य ठाकुर और वेद प्रकाश समेत कई अधिवक्ता

शामिल थे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और अपराधियों के बढ़ते मनोबल को लेकर चिंता जताई। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिले में अपराधियों का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि वे अधिवक्ताओं पर खुलेआम हमले करने से भी नहीं हिचक रहे। अधिवक्ताओं ने बताया कि सात जून को अधिवक्ता लीलाधर शर्मा की हत्या हुई, जिसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 अक्टूबर को अपराधियों ने अधिवक्ता एकता झा के निवास में घुसकर हमला किया, लेकिन नाम उजागर होने के बावजूद अभी भी आरोपी फरार हैं। 28 अक्टूबर को

अधिवक्ता दुलारचंद शर्मा की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई, लेकिन 24 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिवक्ता संघ ने इन घटनाओं को लेकर जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगातार लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन सहरसा के डीएम को सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

सेक्स स्कैंडल में शामिल महिला को पुलिस ने पकड़ा

आरोपी युवक ने कोर्ट में किया सरेंडर

पटना. बिहार बिहार में सेक्स स्कैंडल के दो आरोपी अब कानून के शिकंजे में आ गए हैं। किशनगंज जिले में पुलिस की दबिश के कारण सेक्स स्कैंडल कांड में फरार चल रही एक महिला को गिरफ्तार किया गया तो वहीं एक पुरुष आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। बहादुरगंज देशियाटोली निवासी आरोपी असगर व धनपुरा कोचाधामन निवासी नाजमीन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया

है। वहीं इसी कांड की आरोपी रोशनी परवीन को पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया है। किशनगंज पुलिस के द्वारा मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि सूचना मिली कि सेक्स स्कैंडल मामले में दर्ज किशनगंज थाना कांड संख्या 370/24 में शामिल एक महिला आरोपी रोशनी परवीन कोचाधामन निवासी, जो पूर्णिया से सिलीगुड़ी की ओर जा रही है।

टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए किशनगंज थाना क्षेत्र के रामपुर चेक पोस्ट पर नाका लगाते हुए गिरफ्तार किया गया। इस कांड के आरोपी कोचाधामन सोंथा निवासी फरहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं। फरार चल रहे एक आरोपी नकी अनवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापामारी जारी है। प्रशिक्षु अवर निरीक्षक राकेश कुमार व डीआईयू की टीम कार्रवाई में शामिल थी।

बात नहीं मानने पर पति ने पत्नी की तेज हथियार से कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार



पटना. पटना में पति ने अपनी पत्नी पर तेज हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दूसरा पूर्वी गली की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस तेज हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिससे पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल टीम के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। घटना का कारण पति द्वारा पत्नी की बात

नहीं मानने की बात बताई जा रही है। घटना की पुष्टि करते हुए बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान कैलाश दास की पत्नी राधा देवी (55) के रूप में की गई है। **धनतेरस का सामान लाने को लेकर हुआ था विवाद** घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि कैलाश दास (65) अपनी पत्नी

राधा देवी (55), दो बेटों और एक बेटी के साथ रहते थे। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आए दिन मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मंगलवार की देर शाम धनतेरस का सामान लाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पति ने घर में रखे तेज हथियार से पत्नी के सर के ऊपर जोर से प्रहार कर दिया। खून से लथपथ पत्नी जमीन पर गिरकर छटपटाने लगी। कुछ ही देर में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो

गई। आरोपी पति से पुलिस कर रही पूछताछ घटना के बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना बुद्ध कॉलोनी थाने को दी। सूचना मिलते ही बुद्ध कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल टीम मामले को छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी पति कैलाश दास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।